संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन प्लाट नम्बर 28,जेल रोड अरेरा हिल्स,भोपाल

क्रमांक /पोआ/15/3752 भोपाल, दिनांक 5 .08.2015

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा,
जिला–समस्त (म.प्र)

विषयः–बाल विकास परियोजनाओं में स्व सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषण व्यवस्था के संबंध में।

.....

विभिन्न जिलो की आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पूर्णतः सुचारू रूप से संचालित नही किये जाने के संबंध में काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है । स्व सहायता समूह द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों में नियमित रूप से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए लेकिन जिले के विभिन्न स्व सहायता समूह द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय नियमित रूप से नही किया जा रहा है । समूहों द्वारा पोषण आहार के देयक प्रतिमाह प्रस्तुत नही किए जा रहे है तथा यह भी देखने में आया है कि जिलों द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों में उपस्थित वास्तविक हितग्राहियों की संख्या से अधिक हितग्राहियों के मान से देयकों का भुगतान स्व सहायता समूहों को किया जा रहा है । स्व सहायता समूहों द्वारा प्रदाय किये जा रहे पूरक पोषण आहार का जिला अधिकारी एवं परियोजना अधिकारियों द्वारा भी नियमित रूप से निरीक्षण नही किया जाता है,जो कदापि उचित नही है ।

भविष्य में जिले की समस्त आंगनवाडी केन्द्रों में स्व सहायता समूहों द्वारा प्रदाय किये जा रहे पूरक पोषण आहार का नियमित रूप से निरीक्षण जिला अधिकारी, परियोजना अधिकारी द्वारा किया जावें । स्व सहायता समूहों को कड़े निर्देश दिये जावें कि समूह द्वारा सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन गुणवत्तायुक्त निर्धारित मात्रा एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध किया जावें तथा उनके द्वारा पूरक पोषण आहार के देयक मासिक रूप से प्रस्तुत किए जावें । जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि वास्तविक रूप से जितने हितग्राही आंगनवाडी केन्द्र में पोषण आहार (नाश्ता/भोजन) प्राप्त

कर रहे है उसी के मान से समूहों के देयकों का भुगतान हो । जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिले के ऐसे केन्द्रों पर जहॉ प्रदायकर्ता समूह को औसतन 50 हितग्राही प्रतिदिन से अधिक के मान से भुगतान किया जा रहा है,ऐसे केन्द्रों का भुगतान करने के पूर्व जिला अधिकारी स्वयं प्रतिमाह हितग्राहियों की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें तथा इस बात का प्रमाण पत्र परियोजना अधिकारी से आवश्यक रूप से लिया जावें कि वास्तव में देयक में उल्लेखित हितग्राही आंगनवाडी केन्द्रों में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे है । भविष्य में यदि वास्तविक उपस्थित हितग्राहियों की संख्या से अधिक के मान से भुगतान किया जाना पाया जाता है तो इसके लिये सीधे जिला कार्यक्रम अधिकारी को पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना जावेगा ।

(पुष्पलता सिंह)
आयुक्त,
एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.
भोपाल,दिनांक 5 .8.2015

पृष्ठां.क्रमांक / पोआ / 15 / 3753
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त,
एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.